This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 09 फरवरी, 2024 / 20 माघ, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

GOVERNOR'S SECRETARIAT HIMACHAL PRADESH
RAJ BHAVAN, SHIMLA

ORDER

Dated, the 8th February, 2024

No. **50-10/2022-GS.—**In exercise of powers conferred upon me by sub-section (1) of Section 15 of the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and

Regulation) Act, 2021, I, Shiv Pratap Shukla, Governor, (Chancellor), Sardar Patel University, Mandi in consultation with the State Government of Himachal Pradesh, hereby appoint Professor Lalit Kumar Awasthi, Director, National Institute of Technology, NH-58, Srinagar, Uttarakhand-246174 as Vice-Chancellor, Sardar Patel University, Mandi, Himachal Pradesh for a term of three years with effect from the date he assumes the charge of the office of Vice-Chancellor in Sardar Patel University, Mandi. The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as prescribed or determined by the State Government.

By order,

SHIV PRATAP SHUKLA,
Governor (Chancellor),
Sardar Patel University, Mandi (H.P.).

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 8 फरवरी, 2024

संख्याः एल0सी0डी0–बी0(1)– 2 / 2020.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में सहायक निदेशक (अभिलेखागार), ग्रुप–ए के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, सहायक निदेशक (अभिलेखागार), ग्रुप–ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियाँ.––(1) अधिसूचना संख्याः एल0सी0डी0–बी0(1)–12 / 2016, तारीख 7–4–2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, सहायक निदेशक (अभिलेखागार), वर्ग–II (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

राकेश कंवर,
सचिव (भाषा,कला एवं संस्कृति)।

उपाबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में सहायक निदेशक (अभिलेखागार), ग्रुप–ए के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––सहायक निदेशक (अभिलेखागार)

2. **पद (पदों) की संख्या.**––1 (एक)

3. **वर्गीकरण.**––ग्रुप– ए

4. **वेतनमान.**–– (i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे–बैंड : हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन)नियम, 2022 के पे मैट्रिक्स का लेवल–16।

(ii) संविदा कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः–हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन)नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का साठ (60) प्रतिशत।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.––चयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**––18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पण.––सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––(क)** अनिवार्य अर्हता(एं):

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आधुनिक इतिहास में द्वितीय श्रेणी में एम0 ए0।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अभिलेखागार में डिप्लोमा।

(ख) वांछनीय अर्हता (एं).––हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.––*आयु:* लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.––लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––सीधी भर्ती / प्रोन्नति : (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति / सैंकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा दोनों के न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर।

11. प्रोन्नति / सैंकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैंकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगा.––तकनीकी सहायकों (अभिलेखागार) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 9 (नौ) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 9 (नौ) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कनिष्ठ तकनीकी सहायकों (अभिलेखागार) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) तथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) के रूप में संयुक्ततः 12(बारह) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके 12(बारह) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलत होगी, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, दोनों के न होने पर, अन्य सरकारी विभागों में समरूप वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––*विभागीय प्रोन्नति / स्थायीकरण समिति :* जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा के अनुसार साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण आधार पर किया जाएगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः––

(I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में सहायक निदेशक (अभिलेखागार) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः**

निदेशक, भाषा,कला एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः

संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक निदेशक (अभिलेखागार) को ₹ 29220 / –प्रतिमास की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन)नियम, 2022 के अन्तर्गत पे मैट्रिक्स के लागू स्तर–16 के प्रथम कोष्ठ का 60%(साठ प्रतिशत) के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारीः

निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) / लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा / शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम, आदि यथास्थिति अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाएगी।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेंः

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक निदेशक (अभिलेखागार) को ₹ 29220 / –प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन)नियम,

2022 के अन्तर्गत पे मैट्रिक्स के लागू स्तर–16 के प्रथम कोष्ठ का 60%(साठ प्रतिशत) के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान(समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान(समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर, जो अपील प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड़यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड़यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी / आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती। ऐसी महिला अभ्यर्थी को प्रस्वावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात चिकित्सा या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0,एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध–''ख''

सहायक निदेशक (अभिलेखागार) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमती ..... पुत्र / पुत्री श्री ..... निवासी ..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **''प्रथम पक्षकार''** कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, भाषा कला एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश जिसे इसमें इसके पश्चात् **''द्वितीय पक्षकार''** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .... को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त ''**प्रथम पक्षकार''** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक निदेशक (अभिलेखागार) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:––

1. यह कि **प्रथम पक्षकार** .....के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् ..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. **प्रथम पक्षकार** की संविदात्मक प्रतिमास रकम 29220 / –रुपए होगी [(जो तत्स्थानी संवर्ग के पे–मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60%(साठ प्रतिशत)] होगी)।

3. **संविदा पर नियुक्त व्यक्ति** की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी, जो उस से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 05 दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

   अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और संचित अवकाश अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड़यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड़यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड़यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

   परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी / आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख के छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा अरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम पक्षकार** और **द्वितीय पक्षकार** के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. LCD-B(1)-2/2020, dated 8-2-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 8th February, 2024

No. LCD-B(1)-2/2020.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of Assistant Director (Archives), Group-A in the Department of Language, Art and Culture, Himachal Pradesh, as per **Annexure-"A"** attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Language, Art & Culture, Assistant Director (Archives), Group-A, Recruitment & Promotion Rules, 2024.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings.— (1) The Himachal Pradesh Language, Art & Culture Department, Assistant Director (Archives), Class-II (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2017 notified *vide* notification No. LCD-B(1)-12/2016, dated 07-04-2017 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) *supra* shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

RAKESH KANWAR,
Secretary (LAC).

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (ARCHIVES), GROUP-A (GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF LANGUAGE, ART AND CULTURE, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.— Assistant Director (Archives)

2. Number of Post(s).—One(1)

3. Classification.—GROUP-A

4. Scale of Pay.—*(i) Pay band for regular incumbent(s)*.—"Level-16 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022."

(ii) Emoluments for Contract Employee(s).—Emoluments for contract employees (s): "60% of the first Cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P.Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022" .

5. Whether " Selection" post or "Non-Selection " post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S).—(i) M.A. second division in Modern History from a recognized University.

(ii) Diploma in Archives from a recognized University /Institute.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S).—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).— Age: Not Applicable

Educational Qualification: Not Applicable

9. Period of Probation, if any.—Direct Recruitment/Promotion:

(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion, failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing both on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst Technical Assistants (Archives) having 9 (nine) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Junior Technical Assistants (Archives) having 12 (twelve) years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Technical Assistant (Archives) and Junior Technical Assistant (Archives), which shall include two years essential service as Technical Assistant (Archives), failing which by direct recruitment, failing both on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in identical pay scale from other Government Departments.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.— *Departmental Promotion /Confirmation Committee :* As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test.

15.A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy, the Assistant Director (Archives) in Language, Art and Culture Department, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC**.—The Director, Language, Art and Culture, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Assistant Director (Archives) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.29,220 P.M. [which shall be equal to 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix under H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022].

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY

The Director, Language, Art and Culture, Himachal Pradesh will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission /other recruiting agency/authority, as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The Assistant Director (Archives) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ Rs. 29,220 /- P.M. [which shall be equal to 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix under H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022].

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with termination orders issued by the Appointing Authority, he / she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/ her.

(c) The contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one-month service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed Casual Leave Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un- authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while

considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by a Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also notbe applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes /Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the HimachalPradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Director (Archives) and the Government of Himachal Pradesh through Director, Language, Art and Culture, Himachal Pradesh.

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year_____ between Sh./Smt._____s/o/D/o Sh._____r/o/ _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director, Language, Art and Culture, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as an Assistant Director (Archives) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as an Assistant Director (Archives) for a period of one year commencing on day of and ending on the day of_____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the _____FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on_____ and information notice shall not be necessary:

   Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.29,220 /- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).

3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he / she may prefer the appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/ her.

4. The contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one-month service, **10** days' medical leave and **5** days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for **180** days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding **45** days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional

cases where the circumstances for un- authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by a Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

(Name and full address)

1._____

_____

_____

(Name and full address)

2._____

_____

_____ SIGNATURE OF THE FIRST PARTY

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

(Name and full address)

1._____

_____

_____

(Name and full address)

2._____

_____

_____ SIGNATURE OF THE SECOND PARTY

_____

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप–तहसीलदार, भलेई,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्रीमती कुशल्या देवी पुत्री बजीरू, निवासी गांव कुफलियाणी, डाकघर औहरा, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत औहरा में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती कुशल्या देवी पुत्री बजीरू, निवासी गांव कुफलियाणी, डाकघर औहरा, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) का एक प्रार्थना–पत्र माननीय उप–मण्डलाधिकारी (ना0) सलूणी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत औहरा के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया का जन्म दिनांक 01–07–1955 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत औहरा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में किसी कारण पंजीकरण करवाना छूट गया है। अब प्रार्थिन ने निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि दिनांक 01–07–1955, ग्राम पंचायत औहरा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में नियमानुसार पंजीकृत करने बारे ग्राम पंचायत औहरा को आदेश दिए जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11–02–2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 11–01–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)**

श्री रवि दत्त पुत्र बैंस राम, हाल निवासी गांव व मुहाल कन्दला, परगना व उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री रवि दत्त पुत्र बैंस राम, हाल निवासी गांव व मुहाल कन्दला, परगना व उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम ग्राम पंचायत कन्दला के परिवार रजिस्टर रिकार्ड वाकया मुहाल कन्दला के भू–इन्द्राज, आधार कार्ड व बैंक की पास बुक में रवि दत्त पुत्र बैंसू राम सही व दुरुस्त दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल हडला पटवार वृत्त डुघार में प्रार्थी का नाम रवि कुमार पुत्र बैंसू राम दर्ज है जोकि गलत है जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार रवि कुमार उर्फ रवि दत्त पुत्र बैंसू राम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि (विशेषतः) मुहाल हडला पटवार वृत्त डुघार, उप–तहसील भलेई व अन्य किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम मुहाल हडला के भू–इन्द्राज में दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11–02–2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा मुहाल हडला के भू–इन्द्राज में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 11–01–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री काकू राम पुत्र रफल, निवासी गांव द्रबड, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री काकू राम पुत्र रफल, निवासी गांव द्रबड, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम ग्राम पंचायत औहरा के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में काकू राम पुत्र रफल सही व दुरुस्त दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल अनेटू में प्रार्थी का नाम काकू पुत्र रफल दर्ज है जोकि गलत है जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार काकू उर्फ काकू राम पुत्र रफल दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11–02–2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 11–01–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

————

In the Court of Rakesh Kumar Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Vishal aged 22 years s/o Sh. Bhutu Ram, r/o V.P.O. Tihra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Ipsha aged 18 years d/o Balwant Kumar, r/o Village Hatwas Khas, P.O. Hatwas, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) . . *Applicants*.

Versus

General Public . . *Respondent*.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Vishal aged 22 years s/o Sh. Bhutu Ram, r/o V.P.O. Tihra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Ipsha aged 18 years d/o Balwant Kumar, r/o Village Hatwas Khas, P.O. Hatwas, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-02-2024. The objections received after 10-02-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 02-01-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. (RAKESH KUMAR SHARMA, H.A.S.),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.).

Before the Court of Executive Magistrate-cum-**Tehsildar, Sujanpur,**
District Hamirpur (H.P.)

Smt. Lajya Devi d/o Sh. Prem Dass Singh, r/o Village Bagehra Buhla, Mouza Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) . . *Applicants*.

Versus

General Public . . *Respondent*.

Subject.— Proclamation Regarding registration of Birth under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Smt. Lajya Devi d/o Sh. Prem Dass Singh, r/o Village Bagehra Buhla, Mouza Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other non-availability certificates stating therein that she was born on 08-04-1952 at Village Bagehra Buhla, Mouza Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur H.P.) but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby inform that any person having any objection for the registration of delyed date of Birth of Smt. Lajya Devi d/o Sh. Prem Dass Singh, r/o Village Bagehra Buhla, Mouza Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, Disttict Hamirpur (H.P.) may submit their objections in writing in this court on or before 10-02-2024 failling which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 10-01-2024.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate-cum-*Tehsildar,*
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

Before the Court of Executive Magistrate-cum-**Tehsildar, Sujanpur,**
District Hamirpur (H.P.)

Smt. Gayatri Devi d/o Sh. Narain Singh, r/o Village Dharol, P.O. Jol Lambri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) . . *Applicants*.

Versus

General Public . . *Respondent*.

Subject.— Regarding registration of Birth under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Smt. Gayatri Devi d/o Sh. Narain Singh, r/o Village Dharol, P.O. Jol Lambri, Tehsil Sujanpur, Disttict Hamirpur (H.P.) has moved an application before the court of undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other non-availability certificates stating therein that she was born on 16-07-1965 at Village Dharol, P.O. Jol Lambri, Tehsil Sujsnpur, Disttict Hamirpur (H.P.) but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Panoh, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delyed date of Birth of Smt. Gayatri Devi d/o Sh. Narain Singh, r/o Village Dharol, P.O. Jol Lambri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) may submit their objections in writing in this court on or before 12-02-2024 failling which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this .....01-2024.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate-cum-*Tehsildar,*
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Rakesh Kumar Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Sachin Sharma age 29 years s/o Sh. Balbir Sharma, r/o Village & P.O. Patlander, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Arushi age 22 years d/o Sh. Ashish Kumar, r/o Village Bajuri Khas, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

The General Public . . *Respondent.*

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sachin Sharma age 29 years s/o Sh. Balbir Sharma, r/o Village & P.O. Patlander, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Arushi age 22 years d/o Sh. Ashish Kumar, r/o Village Bajuri Khas, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 02-05-2022 at Bajuri Khas, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-02-2024. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 06-01-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

ब अदालत श्री रुप लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांगणा, उप–तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती जयवंती पुत्री तुला राम, गांव भयाणा, डाकघर व उप–तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बही सरही में जन्म पंजीकरण करने बारे।

यह प्रार्थना–पत्र श्रीमती जयवंती पुत्री तुला राम, गांव भयाणा, डाकघर व उप–तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने अपनी पुत्री मुस्कान के जन्म पंजीकरण बारे इस न्यायालय में पेश किया है जिसकी जन्म तिथि 14–08–2008 है। प्रार्थिया ने प्रार्थना–पत्र पर लिखा है कि मेरी पुत्री का जन्म पंजीकरण किसी कारणवश ग्राम पंचायत बही सरही के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत नहीं हो पाया है। प्रार्थिया ने निवेदन

किया है कि उसकी पुत्री मुस्कान का जन्म 14–08–2008 को ग्राम पंचायत बही सरही में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाऐं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की पुत्री मुस्कान के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह मिति 09–02–2023 तक प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थिया की पुत्री मुस्कान का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बही सरही में पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरांत कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 08–01–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पांगणा, उप–तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रूप लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांगणा, उप–तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती जयवंती पुत्री तुला राम, गांव भयाणा, डाकघर व उप–तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बही सरही में जन्म पंजीकरण करने बारे।

यह प्रार्थना–पत्र श्रीमती जयवंती पुत्री तुला राम, गांव भयाणा, डाकघर व उप–तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने अपनी पुत्री शीतल के जन्म पंजीकरण बारे इस न्यायालय में पेश किया है जिसकी जन्म तिथि 26–02–2011 है। प्रार्थिया ने प्रार्थना–पत्र पर लिखा है कि मेरी पुत्री का जन्म पंजीकरण किसी कारणवश ग्राम पंचायत बही सरही के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत नहीं हो पाया है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसकी पुत्री शीतल का जन्म 26–02–2011 को ग्राम पंचायत बही सरही में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की पुत्री शीतल के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह मिति 09–02–2023 तक प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थिया की पुत्री मुस्कान का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बही सरही में पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरांत कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 08–01–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पांगणा, उप–तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कैलाश कौण्डल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 9 तारीख मरजुआ : 21–06–23 तारीख पेशी : 06–01–2024

खाम्पी देवी पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी हियुन्दी, डाकघर काओ, तहसील करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) हि0प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

खाम्पी देवी पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी हियुन्दी, डाकघर काओ, तहसील करसोग, जिला मण्डी का आवेदन पत्र जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी के माध्यम से इस न्यायलय में प्राप्त हुआ हैं। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र, प्रपत्र संख्या 10, सुरक्षा कार्ड, प्रमाण–पत्र सचिव ग्राम पंचायत डबरोट प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थिया के पुत्र सूर्यांश जिसकी जन्म तिथि 26–05–2013 है किसी कारण वश प्रार्थिया अपने पुत्र के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत डबरोट के परिवार रजिस्टर में दर्ज न करवा सकी। अब प्रार्थिया अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत डबरोट के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस संदर्भ में प्रार्थिया द्वारा अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु एवं जिला चिकित्सा अधिकारी मण्डी के कार्यालय में आवेदन किया गया था जिस पर जिला चिकित्सा अधिकारी मण्डी की रिपोर्ट इस प्रार्थना–पत्र के साथ प्राप्त हो चुकी है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार में प्रकाशन द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के पुत्र का नाम सूर्यांश जन्म तिथि 26–05–2013 है को ग्राम पंचायत डबरोट के रिकार्ड में खाम्पी के परिवार के साथ परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज इस अदालत में मिति 12–02–2024 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकते हैं। किसी से कोई उजर व एतराज न आने की सूरत में प्रार्थिया के पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06–01–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री सुनील चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 1–विविध–XIII-24 दिनांक : 08–01–2024

श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री देवी चन्द पुत्र नारायण दत्त, निवासी ग्राम महाल व डाकघर बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

विषय.––इश्तहार इन्तकाल मकफूद–उल–खबरी के सम्बन्ध में।

श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री देवी चन्द पुत्र नारायण दत्त, निवासी ग्राम महाल व डाकघर बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र कृष्ण कुमार, निवासी मौजा बसन्तपूर से बिना बताए वर्ष 2014 से लापता है। मिसल को बाबत छानबीन हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 1486 दिनांक 12–09–2023 को हल्का कानूनगो खटनोल को भेजा गया। मुताबिक रिपोर्ट हल्का गिरदावर व पटवारी बसंतपुर व ब्यान वाशिन्दगान के कृष्ण कुमार पेशे से घर पर कृषि का कार्य करता था जो कि वर्ष 2005 से लापता है जिसका जीवित या मृत होने बारे कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उनके पुत्र का नाम मौजा बसन्तपुर पटवार वृत्त बसन्तपुर, तहसील सुन्नी व अन्य जगह पर जो भू–सम्पत्ति / जायदाद दर्ज राजस्व कागजात है उसका मकफूद–उल–खबरी इन्तकाल सभी जायज वारसानों के पक्ष में हिस्सानुसार दर्ज व तस्दीक किया जाए।

अतः उक्त मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व उपरोक्त प्रतिवादी आम जनता, सगे सम्बंधी या किसी भी हितबद्ध संस्था को इस इश्तहार अखबारी राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पागी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी इस इंतकाल को उसके जायज वारसान के नाम हिस्सानुसार दर्ज व तस्दीक करने बारे किसी भी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 09–02–2024 को या उससे पूर्व पीठासीन अधिकारी की अदालत तहसील सुन्नी में असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा दिनांक पेशी 12–02–2024 को किसी प्रकार की आपत्ति या उजर न पेश होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व इंतकाल मकफूद–उल–खबरी जायज वारसान के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 08–01–2023 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

––––––––––

Office of the Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh

No. Reader- SDM/Nahan/2023-92 Dated : 16-01-2024

PUBLICATION OF NOTICE

The following persons have submitted an application for solemnization of marriage under the Special Marriage Act, 1954. If anyone has any objection on the grounds specified in the Act, in respect of this solemnization of marriage, if he/she so wished may submit the objection by 12-02-2024.

Name of Bridegroom :

Sh. Krishan Kumar s/o Sh. Ram Swaroop, r/o House No. 44/12, Mohalla Ram Kundi, Nahan, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.).

Name of Bride :

Smt. Satya Devi d/o Sh. Badri Dutt, r/o Village Gumma, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

Sd/-
Seal. (RAJNESH KUMAR H.A.S.),
Addl. Registrar, under Special Marriage Act-cum-
Sub-Divisional Magistrate, Nahan,
District Sirmaur (H.P.).

Office of the Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh

No. Reader- SDM/Nahan/2023-91 Dated : 16-01-2024

PUBLICATION OF NOTICE

The following persons have submitted an application for solemnization of marriage under the Special Marriage Act, 1954. If anyone has any objection on the grounds specified in the Act, in respect of this solemnization of marriage, if he/she so wished may submit the objection by 15-02-2024.

Name of Bridegroom :

Sh. Y Bronson Meitei s/o Sh. Y Sharat Meitei, r/o House No. 114, Leirak Achouba Pareng, Sumak Leikai, Kakching, Thoubal, Manipur-795103.

Name of Bride :

Shamurailatpam Shivalaxmi Sharma d/o Shamurailatpam Sukhdev Sharma, r/o Keishampat Leimajam Leikai, Imphal, Imphal West, Lamphelpat, Sub-Division Manipur-795001.

Sd/-
Seal. (RAJNESH KUMAR H.A.S.),
Addl. Registrar, under Special Marriage Act-cum-
Sub-Divisional Magistrate, Nahan,
District Sirmaur (H.P.).

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
02/2024	11-01-2024	Fixed for hearing on 10-02-2024

Sh. Subhash Chand s/o Late Sh. Sant Ram, r/o Village Banoh, P.O. Khararhatti, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Regarding delayed registration of Death event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Sh. Subhash Chand s/o Late Sh. Sant Ram, r/o Village Banoh, P.O. Khararhatti, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his wife Late Smt. Sita Devi was expired on 10-01-1992 at Village Banoh, P.O. Khararhatti but her death has not been entered in the records of Gram Panchayat Domehar, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-Availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Domehar, Tehsil Arki now newly constituted G.P. Banoh.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that if any person having anyobjection for registration of delayed death in respect of Late Smt. Sita Devi, may submit their objections in writing to this office on or before 10-02-2024 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained afterwards.

Given under my hand and seal of this office on this 11th day of January, 2024.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H. P.).

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
38–एस. डी. ए. कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला–171009

अधिसूचना

दिनांक 6 फरवरी, 2024

संख्या 3–16 / 2023–ई0एल0एन0.––संख्या 3–16 / 2023–ई0एल0एन0 भारत निर्वाचन आयोग के आदेश सं0 76 / हिमा0–वि0स0 / 27 / 2023 / सी.ई.एम.एस.–1, सं0 76 / हिमा0–वि0स0 / 27 / 2023 / सी.ई.एम. एस.–1 व सं0 76 / हिमा0–वि0स0 / 27 / 2023 / सी.ई.एम.एस.–1, तीनों दिनांक 29 जनवरी, 2024 तथा सं0 76 / हिमा0–वि0स0 / 33 / 2023 / सी.ई.एम.एस.–1, दिनांक 29 जनवरी, 2024, तदानुसार 9 माघ, 1945 (शक) जो कि हिमाचल प्रदेश के 27–सुन्दरनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों श्री रणविजय सिंह, श्री टेक चन्द व श्री हेत राम तथा 33–मण्डी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री संजय कुमार द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य / संघ

राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित घोषित करने के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

मनीष गर्ग,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

————————

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

दिनांक 29 जनवरी, 2024
9 माघ, 1945 (शक)

सं0 76 / हिमा0–वि0स0 / 27 / 2023 सी.ई.एम.एस.––यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 17 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना सं0 464 / हि0प्र0–वि0स0 / 2022 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश के **27–सुन्दरनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हिमाचल प्रदेश के 27–सुन्दरनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2022 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 07 जनवरी, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी से दिनांक 10–01–2023 के पत्र सं0 ईएलएन–एमएनडी–एफ(2)–1 / 2022–1–93 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री रणविजय सिंह,** जो हिमाचल प्रदेश के **27–सुन्दरनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (5) के अंतर्गत **श्री रणविजय सिंह** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76 / हिमा0–वि0स0 / 27 / 2023 / सी.ई.एम. एस.–1, दिनांक 12 जुलाई, 2023 जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अंतर्गत **श्री रणविजय सिंह**, को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रुप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 08 अगस्त, 2023 के पत्र सं0 3–7 / 2023–ईएलएन–ईईएम–III, के द्वारा प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी ने अपनी पत्र सं ईएलएन–एमएनडी–एफ(2)–1 / 2022–1–1594, दिनांक 07 अगस्त, 2023 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री रणविजय सिंह** को दिनांक 02 अगस्त, 2023 को तामील किया गया था, और

यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ने पत्र सं. 3–7 / 2023–ईएलएन–ईईएम–III.1361, दिनांक 19–09–2023 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी की अनुपूरक रिपोर्ट सं. ईएलएन–एमएनडी–एफ(2)–1 / 2022–1–1819 दिनांक 25–08–2023 को अग्रेषित किया और बताया कि **श्री रणविजय सिंह** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरान्त, **श्री रणविजय सिंह** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः

'' यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति––

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री रणविजय सिंह,** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि हिमाचल प्रदेश के साधारण निर्वाचन, 2022 के **27–सुन्दरनगर** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री रणविजय सिंह, गांव धारण्डा, डा0 मैरामसीत, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र,
सचिव।

सेवा में,

श्री रणविजय सिंह,
गांव धारण्डा, डा0 मैरामसीत,
तहसील सुन्दरनगर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER

Dated: 29th January, 2024
9 Magh, 1945 (Saka)

No. 76/HP-LA/27/2023/CEMS-1.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of **Himachal Pradesh, 2022** for **27-Sundernagar** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/HP-LA/2022,** dated **17th October, 2022**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **27-Sundernagar** Assembly Constituency of **Himachal Pradesh, 2022** was declared by the Returning Officer on **08th December, 2022** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **07th January, 2023**; and

WHEREAS, as per the report No. **ELN-MND-F(2)-1/2022-1-93,** dated **10-01-2023** of the **DEO, Mandi,** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961**, Shri Ran Vijay Singh** a contesting candidate from **27-Sundernagr** Assembly Constituency of **Himachal Pradesh, 2022** has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. **76/HP-LA/27/2023/CEMS-1, dated 12th July, 2023** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Ran Vijay Singh,** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Shri Ran Vijay Singh,** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mandi** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh** *vide* letter No. **3-7/2023-ELN-EEM-III,** dated **08-08-2023** forwarded the **District Election Officer, Mandi District**, *vide* his letter No. **ELN-MND-F(2)-1/2022-1-1594,** dated **07-08-2023** has reported that the said notice was served to **Shri Ran Vijay Singh,** on **02-08-2023**; and

WHEREAS, the **CEO, Himachal Pradesh** *vide* letter No. **3-7/2023-ELN-EEM-III-1361, dated 19-09-2023** forwarded the District Election Officer, **Mandi** Supplementary Report No. **ELN-MND-F(2)-1/2022-1-1819, dated 25-08-2023** and reported that **Shri Ran Vijay Singh** has not submitted account of election expenses Further, after receipt of the said notice, **Shri Ran Vijay Singh,** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:—

"If the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Ran Vijay Singh,** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ran Vijay Singh, Vill. Dharanda, P.O. Meramasit, Tehsil Sundernagr, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** and a contesting candidate in **27-Sundernagar** Assembly Constituency of General Election to the Legislative Assembly of **Himachal Pradesh,** 2022, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By oder,

SUJEET KUMAR MISHRA,
Secretary.

To,

Ran Vijay Singh,
Vill. Dharanda, P.O. Meramasit,
Tehsil Sundernagr, Distt. Mandi,
Himachal Pradesh.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

दिनांक 29 जनवरी, 2024
9 माघ, 1945 (शक)

सं0 76 / हिमा0–वि0स0 / 27 / 2023 सी.ई.एम.एस.–1.––यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 17 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना सं0 464 / हि0प्र0–वि0स0 / 2022 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश के **27–सुन्दरनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का

लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हिमाचल प्रदेश के 27–सुन्दरनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2022 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 07 जनवरी, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी से दिनांक 10.01.2023 के पत्र सं0 ईएलएन–एमएनडी–एफ(2)–1 / 2022–1–93 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री टेक चंद,** जो हिमाचल प्रदेश के **27–सुन्दरनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (5) के अंतर्गत **श्री टेक चंद** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76 / हिमा0–वि0स0 / 27 / 2023 / सी.ई.एम.एस.–1 दिनांक 12 जुलाई, 2023 जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अंतर्गत **श्री टेक चंद,** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 08 अगस्त, 2023 के पत्र सं. 3–7 / 2023–ईएलएन–ईईएम–III, के द्वारा प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी ने अपनी पत्र सं ईएलएन–एमएनडी–एफ(2)–1 / 2022–1–1594 दिनांक 07 अगस्त, 2023 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री टेक चंद,** को दिनांक 22–07–2023 को तामील किया गया था, और

यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ने पत्र सं. 3–7 / 2023–ईएलएन–ईईएम–III-1361 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी की अनुपूरक रिपोर्ट सं. ईएलएन–एमएनडी–एफ(2)–1 / 2022–1–1819, दिनांक 25–08–2023 को अग्रेषित किया और बताया कि **श्री टेक चंद,** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरान्त, **श्री टेक चंद** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः

'' यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति––

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री टेक चंद,** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि हिमाचल प्रदेश के साधारण निर्वाचन, 2022 के **27—सुन्दरनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री टेक चंद, गांव फफना, डा0 रकोल, तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र,
सचिव।

सेवा में,

श्री टेक चंद,
गांव फफना,
डा0 रकोल, तहसील निहरी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

———————

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER

Dated: 29th January, 2024
9 Magh, 1945 (Saka)

No. 76/HP-LA/27/2023/CEMS-1.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of **Himachal Pradesh, 2022** for **27-Sundernagar** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/HP-LA/2022,** dated **17th October, 2022**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **27-Sundernagar** Assembly Constituency of **Himachal Pradesh, 2022** was declared by the Returning Officer on **08th December, 2022** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **07th January, 2023;** and

WHEREAS, as per the report no. **ELN-MND-F(2)-1/2022-1-93,** dated **10-01-2023** of the **DEO, Mandi,** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961**, Shri Tek Chand** a contesting candidate from **27-Sundernagr** Assembly Constituency of **Himachal Pradesh, 2022** has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. **76/HP-LA/27/2023/CEMS-1, dated 12th July, 2023** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Tek Chand,** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Shri Tek Chand,** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mandi** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh** *vide* letter No. **3-7/2023-ELN-EEM-III,** dated **08-08-2023** forwarded the **District Election Officer, Mandi District**, *vide* his letter No. **ELN-MND-F(2)-1/2022-1-1594,** dated **07-08-2023** has reported that the said notice was served to **Shri Tek Chand,** on **22-07-2023**; and

WHEREAS, the **CEO, Himachal Pradesh** *vide* letter No. **3-7/2023-ELN-EEM-III-1361, dated 19-09-2023** forwarded the District Election Officer, **Mandi** Supplementary Report No. **ELN-MND-F(2)-1/2022-1-1819, dated 25-08-2023** and reported that **Shri Tek Chand** has not submitted account of election expenses Further, after receipt of the said notice, **Shri Tek Chand,** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:—

"If the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Tek Chand,** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Tek Chand, Vill. Fafna, P.O. Rakol, Tehsil Nihri, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** and a contesting candidate in **27-Sundernagar** Assembly Constituency of General Election to the Legislative Assembly of **Himachal Pradesh,** 2022, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either

House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By oder,

SUJEET KUMAR MISHRA,

Secretary.

To

Shri Tek Chand,
Vill. Fafna, P.O. Rakol,
Tehsil Nihri, Distt. Mandi,
Himachal Pradesh.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

दिनांक 29 जनवरी, 2024
9 माघ, 1945 (शक)

सं0 76 / हिमा0–वि0स0 / 27 / 2023 सी.ई.एम.एस.–1.––यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 17 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना सं0 464 / हि0प्र0–वि0स0 / 2022 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश के **27–सुन्दरनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हिमाचल प्रदेश के 27–सुन्दरनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2022 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 08 दिसंम्बर, 2022 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 07 जनवरी, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी से दिनांक 10–01–2023 के पत्र सं0 ईएलएन–एमएनडी–एफ(2)–1 / 2022–1–93 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री हेत राम,** जो हिमाचल प्रदेश के **27–सुन्दरनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (5) के अंतर्गत **श्री हेत राम** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76 / हिमा0–वि0स0 / 27 / 2023 / सी.ई.एम.एस.–1, दिनांक 12 जुलाई, 2023 जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अंतर्गत **श्री हेत राम,** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 08 अगस्त, 2023 के पत्र सं. 3–7 / 2023–ईएलएन–ईईएम–III, के द्वारा प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी ने अपनी पत्र सं ईएलएन–एमएनडी–एफ(2)–1 / 2022–1–1594, दिनांक 07 अगस्त, 2023 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री हेत राम,** को दिनांक 01–08–2023 को तामील किया गया था, और

यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ने पत्र सं. 3–7 / 2023–ईएलएन–ईईएम–III–1361, दिनांक 19–09–2023 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी की अनुपूरक रिपोर्ट सं. ईएलएन–एमएनडी–एफ(2)–1 / 2022–1–1819, दिनांक 25–08–2023 को अग्रेषित किया और बताया कि **श्री हेत राम,** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरान्त, **श्री हेत राम** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः

'' यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति––

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री हेत राम,** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनूसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि हिमाचल प्रदेश के साधारण निर्वाचन, 2022 के **27–सुन्दरनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री हेत राम, गांव मोहरा, डा0 सेरी कोठी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र,
सचिव।

सेवा में,

श्री हेत राम,
गांव मोहरा,
डा0 सेरी कोठी, तहसील सुन्दरनगर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER

Dated: 29th January, 2024
9 Magh, 1945 (Saka)

No. 76/HP-LA/27/2023/CEMS-1.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of **Himachal Pradesh, 2022** for **27-Sundernagar** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/HP-LA/2022,** dated **17th October, 2022**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **27-Sundernagar** Assembly Constituency of **Himachal Pradesh, 2022** was declared by the Returning Officer on **08th December, 2022** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **07th January, 2023;** and

WHEREAS, as per the report no. **ELN-MND-F(2)-1/2022-1-93,** dated **10-01-2023** of the **DEO, Mandi,** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961**, Shri Het Ram** a contesting candidate from **27-Sundernagr** Assembly Constituency of **Himachal Pradesh, 2022** has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. **76/HP-LA/27/2023/CEMS-1, dated 12th July, 2023** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Het Ram,** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Shri Het Ram,** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mandi** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh** vide letter No. **3-7/2023-ELN-EEM-III,** dated **08-08-2023** forwarded the **District Election Officer, Mandi District**, *vide* his letter No. **ELN-MND-F(2)-1/2022-1-1594,** dated **07-08-2023** has reported that the said notice was served to **Shri Het Ram,** on **01.08.2023**; and

WHEREAS, the **CEO, Himachal Pradesh** *vide* letter No. **3-7/2023-ELN-EEM-III-1361, dated 19-09-2023** forwarded the District Election Officer, **Mandi** Supplementary Report No. **ELN-MND-F(2)-1/2022-1-1819 dated 25-08-2023** and reported that **Shri Het Ram** has not submitted account of election expenses Further, after receipt of the said notice, **Shri Het Ram,** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:—

"If the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Het Ram,** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Het Ram, Vill. Mahwra, P.O. Seri Kothi, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** and a contesting candidate in **27-Sundernagar** Assembly Constituency of General Election to the Legislative Assembly of **Himachal Pradesh,** 2022, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By oder,

SUJEET KUMAR MISHRA,
Secretary.

To

Shri Het Ram,
Vill. Mahwra, P.O. Seri Kothi,
Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi,
Himachal Pradesh.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

दिनांक 29 जनवरी, 2024
9 माघ, 1945 (शक)

सं0 76 / हिमा0–वि0स0 / 33 / 2023 सी.ई.एम.एस.–1.––यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 17 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना सं0 464 / हि0प्र0–वि0स0 / 2022 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश के **33–मण्डी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हिमाचल प्रदेश के **33–मण्डी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2022 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 08 दिसंम्बर, 2022 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 07 जनवरी, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी से दिनांक 10.01.2023 के पत्र सं0 ईएलएन–एमएनडी–एफ(2)–1 / 2022–1–93 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री संजय कुमार,** जो हिमाचल प्रदेश के 33–मण्डी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (5) के अंतर्गत **श्री संजय कुमार** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76 / हिमा0–वि0स0 / 33 / 2023 / सी.ई.एम. एस.–1, दिनांक 12 जुलाई, 2023 जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अंतर्गत **श्री संजय कुमार,** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 08 अगस्त, 2023 के पत्र सं. 3–7 / 2023–ईएलएन–ईईएम–III, के द्वारा प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी ने अपनी पत्र सं ईएलएन–एमएनडी–एफ(2)–1 / 2022–1–1594, दिनांक 07 अगस्त, 2023 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री संजय कुमार,** को दिनांक 26–07–2023 को तामील किया गया था, और

यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ने पत्र सं. 3–7 / 2023–ईएलएन–ईईएम–III-1361 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी की अनुपूरक रिपोर्ट सं0 ईएलएन–एमएनडी–एफ(2)–1 / 2022–1–1819, दिनांक 25–08–2023 को अग्रेषित किया और बताया कि **श्री संजय कुमार,** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरान्त, **श्री संजय कुमार** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः

'' यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति––

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री संजय कुमार,** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि हिमाचल प्रदेश के साधारण निर्वाचन, 2022 के **33–मण्डी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री संजय कुमार, गांव कठयाणा, डा0 बीर तुगल, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश–175001** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र,
सचिव।

सेवा में,

श्री संजय कुमार,
गांव कठयाणा,
डा0 बीर तुगल, तहसील सदर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश–175001.

———————

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER

Dated: 29th January, 2024
9 Magh, 1945 (Saka)

No. 76/HP-LA/33/2023/CEMS-1.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of **Himachal Pradesh, 2022** for **33-Mandi** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/HP-LA/2022,** dated **17th October, 2022**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **33-Mandi** Assembly Constituency of **Himachal Pradesh, 2022** was declared by the Returning Officer on **08th December, 2022** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **07th January, 2023;** and

WHEREAS, as per the report no. **ELN-MND-F(2)-1/2022-1-93,** dated **10-01-2023** of the **DEO, Mandi,** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961**, Shri Sanjay Kumar** a contesting candidate from **33-Mandi** Assembly Constituency of **Himachal Pradesh, 2022** has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. **76/HP-LA/33/2023/CEMS-1, dated 12th July, 2023** was issued under sub-rule (5) of

Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Sanjay Kumar,** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Shri Sanjay Kumar,** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mandi** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh** *vide* letter No. **3-7/2023-ELN-EEM-III,** dated **08-08-2023** forwarded the **District Election Officer, Mandi District**, *vide* his letter No. **ELN-MND-F(2)-1/2022-1-1594,** dated **07-08-2023** has reported that the said notice was served to **Shri Sanjay Kumar,** on **26-07-2023**; and

WHEREAS, the **CEO, Himachal Pradesh** *vide* letter No. **3-7/2023-ELN-EEM-III-1361, dated 19-09-2023** forwarded the District Election Officer, **Mandi** Supplementary Report No. **ELN-MND-F(2)-1/2022-1-1819, dated 25-08-2023** and reported that **Shri Sanjay Kumar** has not submitted account of election expenses Further, after receipt of the said notice, **Shri Sanjay Kumar,** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:—

"If the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Sanjay Kumar,** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Sanjay Kumar, Vill. Kathyana, P.O. Bir Tungal, Tehsil Sadar, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-175001** and a contesting candidate in **33-Mandi** Assembly Constituency of General Election to the Legislative Assembly of **Himachal Pradesh,** 2022, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By oder,

SUJEET KUMAR MISHRA,
Secretary

To

Shri Sanjay Kumar,
Vill. Kathyana, P.O. Bir Tungal,
Tehsil Sadar, Distt. Mandi,
Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।